रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 5 मार्च, 1980 ई० (फाल्गुन 25, 1901 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

गृह विभाग

(पुलिस)

अनुभाग-1

प्रकीर्ण

25 जनवरी, 1980 ई०

सं० 5887/आठ-1-2230-63—संयुक्त प्रान्तीय आर्म्ड कान्सटेबुलरी ऐक्ट, 1948 की धारा 15 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं—

उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा नियमावली, 1979

भाग एक-सामान्य

1—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली, 'उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा नियमावली, 1979' कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2—उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा एक राज्य सेवा है, जिसमें समूह 'क' और समूह 'ख' के पद सम्मिलित हैं।

3—जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में—

(क) अधिनियम का तात्पर्य (संयुक्त प्रान्तीय आर्म्ड कान्सटेबुलरी ऐक्ट, 1948 (संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट नं० 40, सन् 1948)

(ख) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य राज्यपाल से है,

(ग) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय,

(घ) 'आयोग' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है,

(ङ) 'संविधान' का तात्पर्य भारत के संविधान से है,

(च) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है,

(छ) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(ज) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या अधिनियम के या इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व प्रवृत्त नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है,

(झ) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा से है।

भाग दो-संवर्ग

4—सेवा की सदस्य संख्या—(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी राज्यपाल द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक कि उपनियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं, परिशिष्ट 'क' में दी गयी है:

परन्तु—

(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या

(ख) राज्यपाल समय-समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें ।

भाग तीन–भर्ती

5––भर्ती का स्रोत–– सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायगी––

(एक) सहायक रडियो अधिकारी––

(क) आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, और

(ख) आयोग के माध्यम से स्थायी रडियो निरीक्षकों में से योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ।

परन्तु उपर्युक्त दोनों स्रोतों से भर्ती इस प्रकार की जायगी कि यथासम्भव 50 प्रतिशत पद सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों द्वारा और 50 प्रतिशत पर पदोन्नत किये गये व्यक्तियों द्वारा पूर्त किये जायं

(दो) अपर राज्य रेडियो अधिकारी––

आयोग के माध्यम से स्थायी सहायक रेडियो अधिकारियों में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा;

परन्तु यदि पदोन्नति के लिये कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हों तो पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है ।

(तीन) राज्य रेडियो अधिकारी––

आयोग के माध्यम से स्थायी अपर राज्य रेडियो अधिकारियों में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा;

परन्तु यदि पदोन्नति के लिये कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो तो पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है ।

(चार) [redacted]

परन्तु यदि पदोन्नति के लिये कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो तो पद नियम 15 के अधीन सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है ।

6––आरक्षण–– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायगा ।

भाग चार–अर्हतायें

7––राष्ट्रिकता––सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी––

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवारण करने के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्रय से आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या केनिया, उगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तंजानिया और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें,

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रखा जा सकेगा, यदि उसने भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली हो ।

टिप्पणी––ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इनकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय ।

8––शैक्षिक अर्हतायें––सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हतायें होनी चाहिये ।

(एक) सहायक रेडियो अधिकारी––

एक विशेष विषय के रूप में बेतार (वायरलेस) के साथ भौतिकी में एम0एस–सी0 उपाधि या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रानिक्स/रेडियो संचार अभियंत्रण में कोई अभियंत्रण की उपाधि या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य उपाधि और देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान । इलेक्ट्रानिक्स/रेडियो संचार प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव अधिमानी अर्हता होगी ।

(दो) अपर राज्य रेडियो अधिकारी––

एक विशेष विषय के रूप में बेतार के साथ भौतिकी में एम0 एस–सी0 की उपाधि या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रानिक्स/रेडियो संचार अभियंत्रण में कोई अभियंत्रण की उपाधि या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य उपाधि और देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान, इसके अतिरिक्त––

(क) उसे किसी उत्तरदायी पद पर कम से कम 5 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिये और इलेक्ट्रानिक्स/रेडियो प्रोद्योगिकी का अद्यतन ज्ञान होना चाहिये ।

(ख) वह रेडियो उपस्कर के अधिष्ठापन और अनुरक्षण का पर्यवेक्षण और निदेश कर सकें,

(ग) वह रेडियो उपस्कर और सहायक सज्जा के डिजाइन, निर्माण और परीक्षण कार्य का पर्यवेक्षण और निदेश कर सकें ।

(तीन) राज्य रेडियो अधिकारी---

वही शैक्षिक और अन्य अर्हतायें होनी चाहिये जो अपर राज्य रेडियो अधिकारी के पद के लिए अपेक्षित हैं। इसके अतिरिक्त उसे किसी उत्तरदायी पद पर रेडियो प्रोद्योगिकी का कम से कम सात वर्ष का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिये।

चार---उप महानिरीक्षक (पुलिस दूर संचार)---

वही शैक्षिक और अन्य अर्हताएं होनी चाहिये जो राज्य रेडियो अधिकारी के पद के लिये अपेक्षित हैं। इसके अतिरिक्त उसे किसी उत्तरदायी पद पर रेडियो प्रोद्योगिकी का कम से कम 10 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिये।

9---अधिमानी अर्हतायें---एस अभ्यर्थी को जिसमें---

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो,

अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान किया जायगा।

10---आयु---सेवा में किसी भी श्रेणी के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की, जिस वर्ष भर्ती की जानी हो उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायं, और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जायं, नीचे निर्दिष्ट वर्ग के पदों के सामने दी गयी न्यूनतम आयु हो जानी चाहिये, और अधिकतम आयु से अधिक नहीं होनी चाहिये :---

पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु
(क) सहायक रेडियो अधिकारी	21	27
(ख) अपर राज्य रेडियो अधिकारी	21	35
(ग) राज्य रेडियो अधिकारी	21	45
(घ) उप महानिरीक्षक (पुलिस दूर संचार)	21	50

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय,

परन्तु यह और कि सरकार आयोग के परामर्श से किसी असाधारण रूप से अर्ह अभ्यर्थी के पक्ष में आयु सीमा शिथिल कर सकती है।

11---चरित्र---सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति अधिकारी इस संबंध में अपना समाधान करेगा।

टिप्पणी---संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी अन्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी स्थानीय प्राधिकारियों या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12---वैवाहिक प्रास्थिति---सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये, ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है।

13---शारीरिक स्वस्थता---किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हों, जिससे उसे अपने कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी ऐसे अभ्यर्थी को जो पहले से सरकार की स्थायी सेवा में न हों, सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित करने के पूर्व, उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह चिकित्सा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करें।

भाग पांच---भर्ती की प्रक्रिया

14---रिक्तियों का अवधारण---नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उनकी सूचना आयोग को देगा।

15---सीधी भर्ती की प्रक्रिया---आयोग चयन के लिये आवेदन-पत्र विहित प्रपत्र में आमंत्रित करेगा, जिसे आयोग के सचिव से भुगतान किये जाने पर प्राप्त किया जा सकता है।

(2) आयोग नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, साक्षात्कार के लिये ऐसे अभ्यर्थियों को बुलायेगा जो अपेक्षित अर्हताएं पूरी करते हैं।

(3) आयोग अभ्यर्थियों की एक सूची, उनकी प्रवीणता के क्रम में जैसाकि प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा मौखिक परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों में प्रकट हो, तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो आयोग उनके नाम सेवा के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यताक्रम में रखेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से

अधिक होगी, किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। आयोग सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

16 [redacted]

17—संयुक्त चयन सूची—यदि नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों ही प्रकार से की गई हो तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम-नियम 15 और नियम 16 के अधीन तैयार की गयी सूची से ऐसी रीति से लिये जायेंगे कि सीधी भर्ती और पदोन्नति का विहित प्रतिशत बना रहे, पहला नाम नियम 16 के अधीन तैयार की गयी सूची से होगा।

भाग छः—नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

10—नियुक्ति—(1) मौलिक रिक्तियां होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को उस क्रम से लेकर जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15, 16 और 17 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में हों, नियुक्तियां करेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी और स्थानापन्न रिक्तियों में भी उप नियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों से नियुक्तियां कर सकता है।

यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियां कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष से अनधिक अवधि या इस नियमावली के अधीन अगला चयन लिये जाने तक, इनमें जो भी पहले हों, के लिये की जायेंगी।

19—परिवीक्षा—(1) सेवा में मौलिक रिक्ति में या उसके प्रति किसी पद पर नियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायगा जब तक कि अवधि बढ़ायी जाय :

परन्तु आपवादिक कारणों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उप नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं, किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गणना करने की अनुमति दे सकता है।

20—परिवीक्षा अवधि के दौरान प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा—सेवा में नियुक्ति किये गये व्यक्ति से परिवीक्षा अवधि के दौरान ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने और ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायगी, जो सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाय।

21—स्थायीकरण—किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा, यदि—

(क) उसने विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो,

(ख) उसने विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलता पूर्वक पूरा कर लिया हो,

(ग) उसका कार्य और आचरण संतोषप्रद बताया जाय,

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ङ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

22—ज्येष्ठता—सेवा में किसी भी श्रेणी के पद पर ज्येष्ठता वही होगी जो मौलिक रूप में नियुक्ति के आदेश के दिनांक से अवधारित की जाय और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्ति किये जायें तो उस क्रम से अवधारित की जायगी जिस क्रम से उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों,

परन्तुः—

(एक) सेवा में सीधे नियुक्ति किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो चयन के समय अवधारित की जाय,

(दो) सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पदोन्नति के समय उनके द्वारा धृत मौलिक पद पर रही हो।

टिप्पणी—(एक) कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर विद्यमान कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारणों की विद्यमान्यता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(दो) जब नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पिछला दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय जब से किसी व्यक्ति को

एक रूप से नियुक्ति की जानी हो, तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायगा। अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।

भाग सात—वेतन आदि

23—वेतनमान—(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर नियुक्ति किये गये व्यक्तियों का, अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिये गये हैं—

पद का नाम	वेतनमान
1—सहायक रेडियो अधिकारी	550-30-700-द०रो०40-900-द०रो०-50-1200 रु०
2—अपर राज्य रेडियो अधिकारी	800-50-1050-द०रो०-50-1300-द०रो०-50-1450 रु०
3—राज्य रेडियो अधिकारी	1400-50-1500-द०रो०-60-1800 रु०
4—उप महानिरीक्षक (पुलिस दूर संचार)	2000-125/2-2250 रु०

24—परिवीक्षा अवधि में वेतन—(1) फन्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समय-मान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण, जहां विहित हो, पूरा कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात दी जायगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिये तब तक नहीं की जाय जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई प्रभार कर रहा हो, यदि परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फंडा-मेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये तक तब नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सामान्यतः सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

25—दक्षता रोक पार करने का मानदन्ड—प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिये दक्षतारोक पार करने का मानदन्ड नीचे दिया गया है—

(एक) सहायक रेडियो अधिकारी—सहायक रेडियो अधिकारी को—

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय, वह उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संगठन के किसी अनुभाग का स्वतंत्र प्रभार धृत करने में पूर्णतया समर्थ न पाया जाय और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय,

(दो) अपर राज्य रेडियो अधिकारी—अपर राज्य रेडियो अधिकारी को—

(एक) प्रथम दक्षता रोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(दो) द्वितीय दक्षता रोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और वह अपने अधीन शाखा का प्रभार धृत करने में पूर्णतया समर्थ न पाया जाय और जब तक उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(तीन) राज्य रेडियो अधिकारी—राज्य रेडियो अधिकारी को दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय वह अपने अधीन शाखा का प्रभार धृत करने में पूर्णतया समर्थ न पाया जाय और उसकी सत्यनिष्ठा भी प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग नौ—अन्य उपबन्ध

26—पक्ष-समर्थन—किसी पद या सेवा पर लागू इस नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

27—अन्य विषयों का विनियमन—ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति अधिनियम के

उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवा रत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

28—सेवा की शर्तों में शिथिलता—जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू होने वाले नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उक्त नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है :

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहां उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त शिथिल करने के पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायगा।

29—व्यावृत्ति—इस नियमावली में किसी बात का ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनका सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,
प्रकाश चन्द्र जैन,
गृह सचिव।

परिशिष्ट 'क'

प्रत्येक श्रेणी की की सदस्य-संख्या	
1—उप गृहनिरीक्षक (पुलिस वायरलेस संचार)	1
2—राज्य रेडियो अधिकारी	1
3—अपर राज्य रेडियो अधिकारी	1
4—सहायक रेडियो अधिकारी	14

परिशिष्ठ—ख

संख्या 71/1/69-रा० ए०

प्रेषक,

श्री पूरन चन्द्र पान्डे,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा अन्य प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

दिनांक लखनऊ, अप्रैल, 25, 1970।

विषय—उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों को राज्य सेवाओं में आरक्षण तथा राज्य सेवाओं/पदों में भर्ती के संबंध में अनुसूचित जातियों के सदस्यों के समान सुविधायें प्रदान करना।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान इस विभाग के शासनादेश संख्या 65/17/69-रा० एकी०, दिनांक 23 अक्तूबर, 1969 जो समस्त जिला अधिकारियों को संबोधित है और जिसकी प्रतिलिपि आपको प्रेषित की गई है, की ओर आकृष्ट करते हुए यह निवेदन करने का आदेश हुआ है कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 335 के अधीन अनुसूचित जन-जातियों को केन्द्र अथवा प्रदेश की सेवाओं पदों में भर्ती के संबंध में अनुसूचित जातियों के समान ही माना गया है। अतः श्री राज्यपाल ने यह निर्णय किया है कि इस आदेश के जारी होने के दिन से अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों को वे सभी सुविधायें जो अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों को प्राप्त हैं, यथा (1) सेवाओं में आरक्षण (2) अधिकतम आयु सीमा में छूट तथा (3) लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगात्मक परीक्षाओं/चयनों की फीस में छूट दी जायं।

2—भविष्य में अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों को राज्य सेवाओं पदों में 2 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त रहेगा और भर्ती हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी। लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगातत्मक परीक्षाओं के संबंध में ली जाने वाली परीक्षागिता साक्षात्कार की एक तिहाई फीस ली जाया करेगी।

3—आरक्षित रिक्तियों के लिये पर्याप्त संख्या में अनुसूचित जन जातियों के उपयुक्त अभ्यर्थियों के प्राप्त न होने पर ऐसी रिक्तियों अनारक्षित रिक्तियों के समान समझकर भर्ती उसी समान की जायेगी किन्तु भर्ती के अनुवर्ती अवसरों पर अग्रनीत (Carry forward) की जायगी। इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को अनुसूचित जन-जाति के अभ्यर्थियों के लिये पांच साल की अवधि तक उपलब्ध रखा जायेगा। तत्पश्चात् इन रिक्तियों को अनारक्षित समझा जायेगा।

4—मुझे आपसे यह अनुरोध करना है कि अपने अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों को उपर्युक्त आदेशों से अवगत करायें और उन्हें सही ढंग से पालन करने का निर्देश दें ताकि अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सरकारी नौकरियों में निर्धारित स्थान मिल सके।

5—यह आदेश वित्त विभाग के अ० शा० संख्या ई05-1-400/दस, दिनांक 3 अप्रैल, 1970 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
पूरन चन्द्र पान्डे,
सचिव।

संख्या 65/17—69-रा० एकी०

प्रेषक,

श्री रामाधीन सक्सेना,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश

दिनांक लखनऊ, 23 अक्तूबर, 1969।

राष्ट्रीय एकीकरण विभाग।

विषय—अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों को जाति प्रमाण-पत्र का जारी करना।